

निर्णय बर्डजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़(राजस्थान)

मिसल नं० 71 / प्रा०पत्र / 20

आईडीबीआई बैंक लि० शाखा, झालावाड़
बनाम

.....प्रार्थी(प्रतिभूति लेनदार)

03. मैसर्स अर्शन स्टोन इण्डस्ट्रीज
जरिये प्रोपराईटर श्रीमति शबाना पत्नी वसीमुद्दीन

04. श्रीमति शबाना पत्नी वसीमुद्दीन
पता- 124 ए जवाहर कॉलोनी, झालावाड़

ऋणी / जमानतदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

---: निर्णय :-

दिनांक: 22.10.2020



यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ज अधिकृत प्रतिनिधि सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी से कुल राशि 23,67,753/- रुपये का दिनांक 08.08.2018 को ऋण लिया गया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में चन्द्रावती ग्रोथ सेन्टर, झालरापाटन, झालावाड़ स्थित अपनी अचल सम्पत्ति- प्लॉट नं० एच-287(आई), जिसका क्षेत्रफल 770 वर्ग मीटर है प्रार्थी के पक्ष में रहन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 30.12.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 29.01.2020 को मांग नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्रार्थी के खाते में कुल बचाया राशि 20,66,977.95/- रुपये दिनांक 30.12.2019 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्चे अदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुचार प्रार्थी सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 30.12.2019 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध कुल रुपये 20,66,977.95/- दिनांक 30.12.2019 तक शेष हैं तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तनुसार प्रा०पत्र के सलग्न शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत चन्द्रावती ग्रोथ सेन्टर, झालरापाटन, झालावाड़ स्थित अपनी अचल सम्पत्ति- प्लॉट नं० एच-287(आई), जिसका क्षेत्रफल 770 वर्ग मीटर है जिसकी चतुर्थ सीमाएं:- पूर्व कृषि भूमि, पश्चिम-रोड़, उत्तर-प्लॉट नं० एच 287(जे), दक्षिण-प्लॉट नं० एच 287(एच) स्थित है। उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक नौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फंसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में चुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़